

अज अदालत- अपर जिला कलक्टर, मुकाम- नागौर

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

नारायणराम पुत्र कानाराम जाति बणजारा निवासी
ताउसर तहसील व जिला नागौर।

तहसीलदार नागौर

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र

नं. 73 सन् 17

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही तय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकान हुकम की जारी हुए तारीख जो इस तामील में जारी हुए
21.12.17	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 203/2017 सरकार बनाम नारायणराम में प्रार्थी का ग्राम ताउसर के खसरा नं. 354 रकबा 0.05 बीघा भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखली एवं जुर्माना से संबंधित आदेश दिनांक 31.10.17 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो।</p> <p>वकील प्रार्थी ने प्रकरण में आवश्यक प्रकृति होना बताते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम रूप से सुनवाई आज ही चाही गई है, जिस पर वकील प्रार्थी को एकपक्षीय अन्तरिम रूप से सुना गया।</p> <p>वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभी अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आना शेष है। ऐसी स्थिति में राज्य पक्ष अप्रार्थी को सुने बिना अन्तरिम स्थगन आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली दिनांक 28.12.17 को पेश हो।</p>	
28.12.17	<p>अपर कलक्टर नागौर</p> <p>वकील प्रार्थी उप.। खसरा नं. 354 रकबा 0.05 बीघा भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखली एवं जुर्माना से संबंधित आदेश दिनांक 31.10.17 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो।</p>	
5.1.18	<p>वकील प्रार्थी उप.। पूर्व आदेश की पालना के सम्बन्ध में दि. 12.1.18 को पेश हो।</p>	
17.1.18	<p>अपर कलक्टर, नागौर</p> <p>वकुलाम उप.। पत्रावली मूल रूप से दि. 19.1.18 को पेश हो।</p>	
19.1.18	<p>अपर कलक्टर, नागौर</p> <p>वकुलाम उप.। प्रार्थी की मूल रूप से दि. 19.1.18 को पेश हो। पत्रावली मूल रूप से दि. 19.1.18 को पेश हो। पत्रावली मूल रूप से दि. 19.1.18 को पेश हो।</p>	



अपर कलक्टर, नागौर